Think IAS...

दृष्टि The Vision

Think Drishti

छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग (CGPSC)

भारतीय राजव्यवस्था

(छत्तीसगढ़ के विशेष संदर्भ सहित)

भाग-3

दूरस्थ शिक्षा कार्यक्रम (Distance Learning Programme)

Code: CGPM23

छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग (CGPSC)

भारतीय राजव्यवस्था

(छत्तीसगढ़ के विशेष संदर्भ सहित)

भाग–3

641, प्रथम तल, डॉ. मुखर्जी नगर, दिल्ली-110009
दूरभाष : 8750187501, 011-47532596
टोल फ्री : 1800-121-6260
Web : www.drishtiias.com
E-mail : online@groupdrishti.com

पाठ्यक्रम, नोट्स तथा बैच संबंधी updates निरंतर पाने के लिए निम्नलिखित पेज को "like" करें
www.facebook.com/drishtithevisionfoundation
www.twitter.com/drishtiias

CGPCS DLP विषय सूची (Contents)

13. राज्य कार्यपालिका		**5-26**
13.1	राज्यपाल	5
13.2	मुख्यमंत्री	15
13.3	राज्य की मंत्रिपरिषद	18
13.4	राज्य का महाधिवक्ता	20
13.5	छत्तीसगढ़ कार्यपालिका	21
14. राज्य का विधानमंडल		**27-55**
14.1	विधानपरिषद	27
14.2	विधानसभा	29
14.3	सत्र, सत्रावसान तथा विघटन	31
14.4	विधानमंडल के पदाधिकारी	33
14.5	विधानमंडल की सदस्यता	34
14.6	विधानमंडल के विशेषाधिकार	37
14.7	विधि निर्माण प्रक्रिया	38
14.8	विधानसभा और विधानपरिषद की तुलना	43
14.9	छत्तीसगढ़ विधानमंडल	44
15. राज्य की न्यायपालिका		**56-81**
15.1	उच्च न्यायालय	56
15.2	अधीनस्थ न्यायालय	64
15.3	अधिकरण	68
15.4	विशेष उद्देश्य न्यायालय	73
15.5	छत्तीसगढ़ न्यायपालिका	77
16. केंद्र-राज्य संबंध		**82-126**
16.1	केंद्र-राज्य संबंध: परिचय	82
16.2	केंद्र तथा राज्यों के विधायी संबंध	83
16.3	केंद्र तथा राज्यों के प्रशासनिक संबंध	92
16.4	केंद्र तथा राज्यों के वित्तीय संबंध	95
16.5	भारत में केंद्र-राज्य संबंधों की प्रवृत्तियाँ	105
16.6	अंतर-राज्य संबंध	116
17. संवैधानिक, संविधानेतर, सांविधिक, विनियामक और विभिन्न अर्द्ध-न्यायिक निकाय		**127-199**
17.1	भारत का नियंत्रक-महालेखापरीक्षक	127
17.2	छत्तीसगढ़ का महालेखाकार (लेखा परीक्षा)	130
17.3	वित्त आयोग	130
17.4	संघ लोक सेवा आयोग	132

17.5 राज्य लोक सेवा आयोग 134
17.6 छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग 136
17.7 भारत का निर्वाचन आयोग 137
17.8 राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग 140
17.9 राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग 142
17.10 भाषायी अल्पसंख्यक वर्गों के लिये विशेष अधिकारी 143
17.11 नीति आयोग 145
17.12 राष्ट्रीय विकास परिषद 147
17.13 केंद्रीय सूचना आयोग 149
17.14 राज्य सूचना आयोग 151
17.15 छत्तीसगढ़ राज्य सूचना आयोग 154
17.16 केंद्रीय सतर्कता आयोग 154
17.17 राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग 160
17.18 राज्य मानवाधिकार आयोग 163
17.19 छत्तीसगढ़ राज्य मानवाधिकार आयोग 164
17.20 राष्ट्रीय महिला आयोग 165
17.21 छत्तीसगढ़ राज्य महिला आयोग 168
17.22 राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग 170
17.23 राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग 172
17.24 राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग 174
17.25 छत्तीसगढ़ राज्य अल्पसंख्यक आयोग 176
17.26 भारत का परिसीमन आयोग 178
17.27 भारत का विधि आयोग 180
17.28 उत्तर-पूर्वी परिषद 181
17.29 भारतीय प्रतिस्पर्द्धा आयोग 183
17.30 केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण 183
17.31 राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण 185
17.32 भारत का महापंजीयक एवं जनगणना आयुक्त 186
17.33 राष्ट्रीय एकता परिषद 187
17.34 लोकपाल एवं लोकायुक्त 187
17.35 छतीसगढ़ लोकायुक्त 189

18. पंचायती राज एवं नगरपालिकाएँ **200-264**
18.1 पंचायती राज 200
18.2 नगरपालिकाएँ 221
18.3 छत्तीसगढ़ पंचायती राज प्रणाली 233
18.4 छत्तीसगढ़ में नगर निकाय प्रणाली 249

अध्याय
13

राज्य कार्यपालिका (State Executive)

संविधान के छठे भाग में अनुच्छेद 153 से अनुच्छेद 167 तक राज्य कार्यपालिका का उल्लेख है। राज्य की कार्यपालिका राज्यपाल, मुख्यमंत्री, मंत्रिपरिषद एवं राज्य के महाधिवक्ता से मिलकर बनती है।

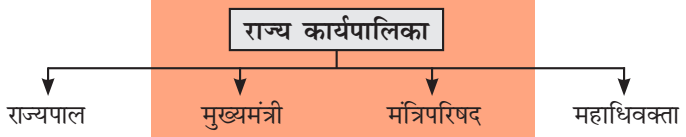

13.1 राज्यपाल *(The Governor)*

'राज्यपाल' का पद राज्य की शासन व्यवस्था का अत्यंत महत्त्वपूर्ण पद है। वह राज्य विधानमंडल का अभिन्न अंग है, राज्य की कार्यपालिका का औपचारिक प्रधान है तथा केंद्र सरकार का प्रतिनिधि भी है। इस तरह राज्यपाल एक साथ कई भूमिकाओं का निर्वाह करता है।

मूल संविधान में व्यवस्था थी कि प्रत्येक राज्य के लिये एक राज्यपाल होगा **(अनुच्छेद 153)**। बाद में संविधान के **7वें संशोधन, 1956** के माध्यम से इसमें परंतुक (Proviso) जोड़कर स्पष्ट किया गया कि एक ही व्यक्ति को दो या अधिक राज्यों का राज्यपाल बनाया जा सकेगा।

राज्यपाल की नियुक्ति *(Appointment of the Governor)*

संविधान सभा इस प्रश्न पर काफी दुविधा में थी कि राज्यपाल की नियुक्ति कैसे हो। संघात्मक देशों में राज्यपाल प्रायः जनता द्वारा सीधे चुने जाते हैं। अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया में यही व्यवस्था है। इसके विपरीत कनाडा में राज्यपालों की नियुक्ति केंद्र द्वारा की जाती है। संविधान सभा के सामने सवाल था कि भारत की परिस्थितियों के लिये इनमें से कौन–सा रास्ता उचित होगा।

लंबे विचार-विमर्श के बाद संविधान सभा ने तय किया कि राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा किया जाना ही उचित होगा। इस निष्कर्ष तक पहुँचने के निम्नलिखित आधार थे-

- भारत के विभाजन के कारण संविधान सभा समझ गई थी कि देश की स्थिरता और अखंडता के लिये एक मज़बूत केंद्र का होना ज़रूरी है। इसके लिये केंद्र द्वारा नियुक्त राज्यपाल ही बेहतर था।
- अगर राज्यपाल जनता द्वारा चुना जाता तो वह मुख्यमंत्री की प्रमुखता स्वीकार करने की बजाय स्वयं ही शक्ति का केंद्र बनना पसंद करता।
- अगर राज्यपाल का चुनाव होता तो इस पद पर चुना जाने वाला व्यक्ति स्वभावतः किसी दल या गठबंधन से जुड़ा होता। इससे उसकी तटस्थता प्रभावित होती और यह राज्य के स्वस्थ शासन के लिये अच्छा न होता।
- चूँकि राज्यपाल को सिर्फ **औपचारिक प्रमुख** की भूमिका निभानी थी, इसलिये उसके चुनाव पर बहुत सारा धन खर्च करने तथा अनावश्यक जटिलताओं को आमंत्रित करने की उपयोगिता नहीं थी।
- राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। राज्यपाल राज्य का कार्यकारी प्रमुख होता है, जो केंद्र सरकार के प्रतिनिधि के रूप में कार्य करता है।

नोटः केंद्र सरकार द्वारा मनोनीत व्यक्ति को ही राष्ट्रपति किसी राज्य का राज्यपाल नियुक्त करता है, किंतु राज्यपाल का कार्यालय एक स्वतंत्र संवैधानिक कार्यालय है, केंद्र सरकार के अधीनस्थ नहीं।

2.	टी.एस. सिंहदेव	अंबिकापुर (सरगुजा)	पंचायत एवं ग्रामीण विकास, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, चिकित्सा शिक्षा, बीस सूत्रीय कार्यान्वयन वाणिज्य कर (जीएसटी)
3.	ताम्रध्वज साहू	दुर्ग ग्रामीण (दुर्ग)	लोक निर्माण, गृह, जेल, धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व, पर्यटन
4.	मोहम्मद अकबर	कवर्धा	परिवहन, आवास पर्यावरण, वन, विधि एवं विधायी कार्य।
5.	जयसिंह अग्रवाल	कोरबा	राजस्व एवं आपदा प्रबंधन, पुनर्वास, वार्णिज्यिक कर (पंजीयन एवं मुद्रांक)।
6.	कवासी लखमा	कोंटा (सुकमा)	वाणिज्यिक कर (आबकारी), वाणिज्य एव उद्योग।
7.	श्रीमती अनिला भेड़िया	डौंडीलोहारा (बालोद)	महिला एवं बाल विकास, समाज कल्याण।
8.	डॉ. शिव कुमार डहरिया	आरंग (रायपुर)	नगरीय प्रशासन एवं विकास, श्रम।
9.	गुरु रुद्र कुमार	अहिवारा (दुर्ग)	लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी और ग्रामोद्योग
10.	डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम	प्रतापपुर (सूरजपुर)	स्कूल शिक्षा, अनुसूचित जाति एवं जनजाति विकास, पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण, सहकारिता।
11.	रविंद्र चौबे	साजा (बेमेतरा)	संसदीय कार्य, कृषि एवं जैव प्रौद्योगिकी, पशुधन विकास मछली पालन, जल संसाधन एवं आयाकट।
12.	उमेश पटेल	खरसिया (रायगढ़)	उच्च शिक्षा, कौशल विकास, तकनीकी शिक्षा एवं रोजगार, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, खेल एवं युवा कल्याण विभाग।
13.	अमरजीत भगत	सीतापुर (सरगुजा)	खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी, संस्कृति।

छत्तीसगढ़ का महाधिवक्ता *(Advocate General of Chhattisgarh)*

अनुच्छेद 165 के तहत 31 मई, 2019 को छत्तीसगढ़ के राज्यपाल श्रीमती आनंदीबेन पटेल ने छत्तीसगढ़ के अतिरिक्त महाधिवक्ता सतीश चंद्र वर्मा को छत्तीसगढ़ का महाधिवक्ता नियुक्त किया।

परीक्षोपयोगी महत्त्वपूर्ण तथ्य

- संविधान के छठे भाग में (अनुच्छेद 153 से अनुच्छेद 167 तक) राज्य कार्यपालिका का उल्लेख है।
- राज्यपाल राज्य कार्यपालिका का कार्यकारी प्रधान होता है जबकि मुख्यमंत्री वास्तविक प्रधान।
- राज्यपाल का कार्यालय एक स्वतंत्र संवैधानिक कार्यालय है, केंद्र सरकार के अधीनस्थ नहीं।
- राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल करता है, परंतु उनको पद से हटाने की शक्ति केवल राष्ट्रपति के पास होती है।
- राज्यपाल राज्य की पंचायती राज संस्थाओं की वित्तीय स्थिति का पुनर्विलोकन करने के लिये प्रत्येक 5 वर्ष बाद वित्त आयोग का गठन करता है।
- छत्तीसगढ़ के प्रथम मुख्यमंत्री **श्री अजीत प्रमोद कुमार जोगी** थे।
- छत्तीसगढ़ के वर्तमान मुख्यमंत्री **श्री भूपेश बघेल** हैं।
- **डॉ. रमन सिंह** लगातार तीन कार्यकाल तक छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री रहे।

- छत्तीसगढ़ की वर्तमान राज्यपाल **श्रीमती अनुसुईया उइके** हैं।
- राज्य मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होता है जबकि व्यक्तिगत रूप से (मंत्री) राज्यपाल के प्रति उत्तरदायी होता है।
- 91वें संविधान संशोधन अधिनियम, 2003 के द्वारा राज्य मंत्रिपरिषद में मुख्यमंत्री सहित मंत्रियों की अधिकतम संख्या विधानसभा के सदस्यों की कुल संख्या का 15% निर्धारित किया गया है।
- महाधिवक्ता राज्य सरकार का **सर्वोच्च विधि अधिकारी** होता है।

बहुविकल्पीय प्रश्न

1. आनंदी बेन पटेल को शपथ किसने दिलाई, जिन्हें छत्तीसगढ़ राज्य के राज्यपाल का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है? **CGPCS (Pre) 2018**
   (a) न्यायमूर्ति अजय कुमार त्रिपाठी
   (b) न्यायमूर्ति प्रशांत मिश्रा
   (c) न्यायमूर्ति एम.एम. श्रीवास्तव
   (d) न्यायमूर्ति संजय के. अग्रवाल
2. संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्यपाल, राष्ट्रपति के अनुमोदन के लिये किसी विधेयक को भेज सकता है? **CGPCS (Pre) 2015**
   (a) अनुच्छेद 166
   (b) अनुच्छेद 200
   (c) अनुच्छेद 239
   (d) अनुच्छेद 240
   (e) उपर्युक्त में से कोई नहीं
3. छत्तीसगढ़ के राज्यपाल श्री शेखर दत्त किस सेवा से सेवानिवृत व्यक्ति हैं? **CGPCS (Pre) 2013**
   (a) भारतीय वन सेवा
   (b) भारतीय प्रशासनिक सेवा
   (c) भारतीय पुलिस सेवा
   (d) भारतीय विदेश सेवा
   (e) मध्य प्रदेश उच्च न्यायिक सेवा
4. राज्यपाल राज्य के विधानसभा को संबोधित करेंगे, संबंधी प्रावधान भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में है? **CGPCS (Pre) 2012**
   (a) 172 (b) 176
   (c) 182 (d) 183
   (e) 187
5. भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन-सा अनुच्छेद राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान करता है?
   (a) अनुच्छेद 208 (b) अनुच्छेद 212
   (c) अनुच्छेद 213 (d) अनच्छेद 214
6. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये तथा नीचे दिये गए कूट से अपना उत्तर चुनिये-
   1. राज्यपाल को उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति का अधिकार नहीं है।
   2. वह विधानमंडल का हिस्सा नहीं है।
   3. उन्हें विधानपरिषद में कुछ सदस्यों को मनोनीत करने का अधिकार है।
   4. उनके पास कोई न्यायिक शक्ति नहीं है।

   कूट:
   (a) 1 और 2 सही हैं।
   (b) 1 और 3 सही हैं।
   (c) 2 और 4 सही हैं।
   (d) सभी सही हैं।
7. जब एक ही व्यक्ति को दो या अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त किया जाता है तो उस राज्यपाल को संदेय उपलब्धियाँ और भत्ते होंगे-
   (a) राज्यपाल की व्यक्त इच्छानुसार
   (b) राष्ट्रपति के निर्णयानुसार
   (c) गृह मंत्रालय के निर्णयानुसार
   (d) इसे उन राज्यों के बीच ऐसे अनुपात में आबंटित किया जाएगा, जैसा राष्ट्रपति आदेश द्वारा अवधारित करें।

8. इनमें से कौन राज्य सरकार का कानूनी सलाहकार है?
   (a) महाधिवक्ता
   (b) महान्यायवादी
   (c) सॉलिसिटर जनरल
   (d) नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक
9. राज्यपाल को पद की गोपनीयता की शपथ कौन दिलवाता है?
   (a) राष्ट्रपति
   (b) उप-राष्ट्रपति
   (c) राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश
   (d) विधानसभा अध्यक्ष
10. निम्नलिखित में से कौन-सी किसी राज्य के राज्यपाल को दी गई विवेकाधीन शक्तियाँ हैं?
    1. भारत के राष्ट्रपति को राष्ट्रपति शासन अधिरोपित करने के लिये रिपोर्ट भेजना।
    2. मंत्रियों की नियुक्ति करना।
    3. राज्य विधानमंडल द्वारा पारित कतिपय विधेयकों को भारत के राष्ट्रपति के विचार के लिये आरक्षित करना।
    4. राज्य सरकार के कार्य संचालन के लिये नियम बनाना।

    नीचे दिये गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिये-
    (a) केवल 1 और 2
    (b) केवल 1 और 3
    (c) केवल 2, 3 और 4
    (d) 1, 2, 3 और 4
11. राज्यपाल के संबंध में कौन-सा कथन असत्य है?
    (a) राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसादपर्यंत अपना पद धारण करता है।
    (b) वह राष्ट्रपति को संबोधित त्यागपत्र द्वारा अपना पद-त्याग कर सकता है।
    (c) वह अपने पद की अवधि समाप्त हो जाने पर तब तक पद धारण करता रहेगा, जब तक उसका उत्तराधिकारी पद ग्रहण न कर ले।
    (d) अनुच्छेद 154 में राज्यपाल पद का उल्लेख किया गया है।
12. निम्नलिखित में किन राज्यों के संदर्भ में राज्यपालों को विशेष दायित्व दिया गया है कि वे अपने राज्य में जनजातियों के कल्याण हेतु एक मंत्री की नियुक्ति कर सकेंगे?
    (a) छत्तीसगढ़, ओडिशा, झारखंड तथा उत्तराखंड
    (b) ओडिशा, झारखंड, छत्तीसगढ़ तथा मध्य प्रदेश
    (c) नागालैंड, त्रिपुरा, असम तथा मिज़ोरम
    (d) अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, त्रिपुरा तथा मिज़ोरम
13. यदि यह प्रश्न उठता है कि राज्य के विधानमंडल का कोई सदस्य किसी निरर्हता (Disqualification) से ग्रस्त हो गया है या नहीं तो इस संबंध में राज्यपाल किसकी सलाह के अनुसार कार्य करता है?
    (a) विधानसभा के अध्यक्ष
    (b) उच्च न्यायालय के न्यायाधीश
    (c) मुख्यमंत्री
    (d) निर्वाचन आयोग
14. निम्नलिखित में कौन-सा/से कथन राज्यपाल के संदर्भ में सत्य है/हैं?
    1. यदि विधानमंडल किसी साधारण विधेयक को राज्यपाल द्वारा सुझाए गए संशोधनों के साथ या उनके बिना पुनः पारित कर देता है तो राज्यपाल को उसे स्वीकृति देनी पड़ती है।
    2. यदि राज्यपाल किसी विधेयक को राष्ट्रपति के विचार के लिये आरक्षित कर लेता है तो उस विधेयक के संबंध में उसकी भूमिका वहीं समाप्त हो जाती है।
    3. राज्यपाल पर बाध्यता है कि अगर उसके राज्य में किसी विधेयक के अधिनियम बन जाने से उच्च न्यायालय की शक्तियाँ कम हो सकती हैं तो वह उसे राष्ट्रपति के विचार के लिये आरक्षित कर लेगा।

    कूट:
    (a) केवल 3 (b) केवल 2 और 3
    (c) केवल 1 और 2 (d) 1, 2 और 3
15. धन विधेयकों के संबंध में राज्यपाल के पास कुछ विकल्प होते हैं। निम्नलिखित में कौन-से विकल्प इस संदर्भ में सत्य हैं?
    1. वह विधेयक को स्वीकृति देने की घोषणा कर सकता है, जिससे वह अधिनियम बन जाता है।
    2. वह विधेयक पर स्वीकृति रोकने की घोषणा कर सकता है, जिससे विधेयक अधिनियम नहीं बन पाता।
    3. वह विधेयक को पुनर्विचार के लिये लौटा सकता है।
    4. वह विधेयक को राष्ट्रपति के विचार हेतु आरक्षित कर सकता है।

कूट:

(a) केवल 1 और 4

(b) केवल 1 और 2

(c) केवल 1, 2 और 3

(d) केवल 1, 2 और 4

16. निम्नलिखित में कौन-सा कथन असत्य है?

(a) सैन्य अदालत या 'कोर्ट मार्शल' द्वारा दिये गए दंड को माफ या कम करने की शक्ति सिर्फ राष्ट्रपति को है, राज्यपाल को नहीं।

(b) मृत्युदंड को माफ करने का अधिकार सिर्फ राष्ट्रपति को है, राज्यपाल को नहीं।

(c) राज्यपाल मृत्युदंड को प्रविलंबित अथवा लघुकृत करने का अधिकार रखता है।

(d) राज्यों में राष्ट्रपति शासन राज्यपाल की रिपोर्ट के आधार पर ही लागू किया जा सकता है।

17. निम्नलिखित में किन राज्यों के राज्यपालों को यह विवेकाधीन शक्ति है कि इन राज्यों से होने वाले खनिज उत्खननों में जनजातीय ज़िला परिषद को दी जाने वाली रॉयल्टी की राशि निर्धारित करें?

(a) अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, मणिपुर और मेघालय।

(b) असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिज़ोरम।

(c) सिक्किम, मणिपुर, असम और मिज़ोरम।

(d) असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम।

उत्तरमाला

1. (a)	2. (b)	3. (b)	4. (b)	5. (c)	6. (b)	7. (d)	8. (a)	9. (c)	10. (b)
11. (d)	12. (b)	13. (d)	14. (d)	15. (d)	16. (d)	17. (b)			

अति लघुउत्तरीय प्रश्न (उत्तर लगभग 30 शब्दों में दीजिये)

1. राज्यपाल की शक्तियाँ (कोई चार)। **CGPCS (Mains) 2017**
2. महाधिवक्ता की भूमिका को समझाइये। **CGPCS (Mains) 2015**
3. राज्यपाल होने के लिये अर्हताएँ लिखिये।
4. मंत्रीपरिषद के कोई चार कार्य बताइये।
5. राज्यपाल के संबंध में मुख्यमंत्री के दायित्व को समझाइये।

लघुउत्तरीय प्रश्न (उत्तर लगभग 60 शब्दों में दीजिये)

1. राज्यपाल की कार्यकारी शक्तियों का उल्लेख कीजिये।
2. मुख्यमंत्री का विधानमंडल के संबंध में दायित्वों को बताइये।
3. महाधिवक्ता के कार्यों एवं शक्तियों को स्पष्ट कीजिये।

दीर्घउत्तरीय प्रश्न (उत्तर लगभग 100/125/175 शब्दों में दीजिये)

1. क्या आप इस मत से सहमत हैं कि राज्यपाल का पद जो केंद्र और राज्यों में एक ही दल का शासन होने पर बेकार हो जाता है, वहीं उस समय शरारती हो जाता है जब केंद्र और राज्यों में विभिन्न दलों की सरकारें होती है? अपना उत्तर तर्क और उदाहरणों के साथ दीजिये। **(500 शब्द)** **CGPCS (Mains) 2013**
2. राज्य प्रशासन में मुख्यमंत्री की भूमिका का परीक्षण कीजिये।
3. राज्यपाल की विवेकाधीन शक्तियों का उल्लेख कीजिये।

अध्याय
14

राज्य का विधानमंडल
(The State Legislature)

संविधान के भाग-6 में **अनुच्छेद 168 से अनुच्छेद 212** तक 'राज्य का विधानमंडल' का उल्लेख है।

संविधान निर्माताओं ने केंद्र की तरह राज्यों के लिये भी संसदीय प्रणाली को उपयुक्त समझा था। जिन राज्यों में एक ही सदन है, उस सदन को 'विधानसभा' (Legislative Assembly) कहा जाता है। 'विधानपरिषद' (Legislative Council) दूसरा सदन है जो कुछ ही राज्यों में है। केंद्रीय विधायिका से तुलना करें तो कहा जा सकता है कि 'विधानसभा' की भूमिका प्राय: 'लोकसभा' के समान है जबकि 'विधानपरिषद' की 'राज्यसभा' के समान।

अनुच्छेद 168 घोषित करता है कि प्रत्येक राज्य के लिये एक विधानमंडल (Legislature) होगा। विधानमंडल में राज्यपाल और विधानसभा अभिन्न हिस्से होंगे। जिन राज्यों में विधानपरिषद हैं, उनका विधानमंडल इन दोनों के साथ उसे जोड़ने से पूरा होगा।

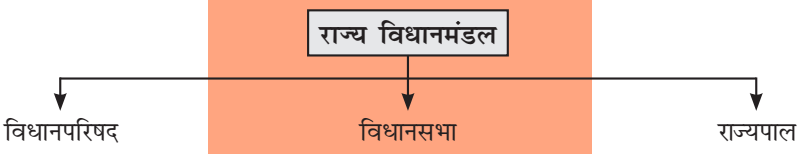

14.1 विधानपरिषद *(The Legislative Council)*

विधानपरिषद से संबंधित विशिष्ट प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 169 तथा अनुच्छेद 171 में दिये गए हैं।

सृजन तथा उत्सादन *(Creation and Abolition)*

अनुच्छेद 169 में बताया गया है कि किसी राज्य में विधानपरिषद के सृजन (Creation) या उत्सादन (Abolition) की क्या प्रक्रिया होगी। इसके अनुसार, संसद विधि द्वारा किसी राज्य में विधानपरिषद का सृजन या उत्सादन करने के लिये विधि बना सकेगी, बशर्ते उस राज्य की विधानसभा ने इस आशय का संकल्प पारित किया हो। ऐसा संकल्प विधानसभा की कुल सदस्य संख्या के बहुमत द्वारा तथा उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों की संख्या के कम-से-कम दो-तिहाई बहुमत द्वारा पारित होना अनिवार्य है।

अनुच्छेद 169(3) में स्पष्ट किया गया है कि यदि संसद द्वारा ऐसे संकल्प के अनुरूप विधानपरिषद के सृजन या उत्सादन के लिये कोई विधि बनाई जाती है तो उसे अनुच्छेद 368 के प्रयोजनों के लिये संविधान का संशोधन नहीं समझा जाएगा।

मूल संविधान में कुल 8 राज्यों- **आंध्र प्रदेश, बिहार, बंबई** (अब महाराष्ट्र), **तमिलनाडु, मैसूर** (अब कर्नाटक), **पंजाब, उत्तर प्रदेश** तथा **पश्चिम बंगाल** के लिये द्विसदनीय विधानमंडल की व्यवस्था की गई थी जबकि बाकी राज्यों के लिये एक ही सदन अर्थात् विधानसभा की। आगे चलकर, दो सदनों वाले राज्यों में से कुछ ने महसूस किया कि उनके विधायी कार्यों के लिये एक सदन पर्याप्त है, विधानपरिषद की विशेष उपयोगिता नहीं है। ऐसे राज्यों ने संविधान के अनुच्छेद 169 के अनुसार विधानपरिषद के उत्सादन के लिये संकल्प पारित करके संसद को सौंप दिया तथा संसद ने विधि द्वारा उन राज्यों से विधानपरिषदों को हटा दिया। इस उपबंध के तहत संसद ने पंजाब (1969), पश्चिम बंगाल (1969), आंध्र प्रदेश (1985) तथा तमिलनाडु (1986) की विधानपरिषदों के उत्सादन के लिये अधिनियम पारित किये हैं। इनमें से आंध्र प्रदेश ने हाल ही में पुन: विधानपरिषद के गठन का संकल्प पारित किया जिसके प्रत्युत्तर में 2005 में संसद ने 'आंध्र प्रदेश विधानपरिषद अधिनियम, 2005' पारित किया है। 1985 में उत्सादित किये जाने के बाद आंध्र प्रदेश की विधानपरिषद 2007 में पुन: गठित की गई।

अध्याय
15

राज्य की न्यायपालिका (Judiciary of the State)

भारत की एकल समेकित न्यायिक व्यवस्था में उच्चतम न्यायालय सर्वोच्च है, इसके नीचे उच्च न्यायालय का स्थान है, जो अधीनस्थ न्यायालयों के ऊपर कार्य करता है। भारत में एक राज्य की न्यायपालिका में एक उच्च न्यायालय और अधीनस्थ न्यायालयों का एक पद सोपान होता है। राज्य के न्यायिक प्रशासन में उच्च न्यायालय की स्थिति शीर्ष पर होती है।

15.1 उच्च न्यायालय *(The High Courts)*

किसी राज्य में न्यायपालिका के शीर्ष पर स्थित न्यायालय को संविधान में उच्च न्यायालय कहा गया है। संविधान के भाग VI, अध्याय 5 का शीर्षक है–'राज्यों के उच्च न्यायालय' (The High Courts in the States)। इसके अंतर्गत अनुच्छेद 214-232 शामिल हैं। उच्च न्यायालयों के संबंध में बहुत से प्रावधान वही हैं, जो सर्वोच्च न्यायालय के संबंध में हैं, किंतु कुछ मामलों में ये उपबन्ध विशिष्ट हैं। ध्यातव्य है कि उच्च न्यायालयों तथा सर्वोच्च न्यायालय को संयुक्त रूप में उच्चतर न्यायपालिका (Higher Judiciary) कहा जाता है तथा इनसे नीचे के सभी न्यायालयों को अधीनस्थ या निम्नतर न्यायपालिका (Subordinate or Lower Judiciary)।

उच्च न्यायालयों की संख्या *(Number of High Courts)*

संविधान के **अनुच्छेद 214** में कहा गया है कि 'प्रत्येक राज्य के लिये एक उच्च न्यायालय होगा।' स्वाधीनता के कुछ ही समय बाद छोटे राज्यों की प्रवृत्ति को देखते हुए संसद को यह उचित प्रतीत हुआ कि प्रत्येक राज्य के लिये पृथक् उच्च न्यायालय की शर्त हटा दी जाए। 7वें संशोधन के माध्यम से अनुच्छेद 230, 231 तथा 232 को संशोधित किया गया।

संशोधित अनुच्छेद 231 का मूल पाठ इस प्रकार है- "इस अध्याय के पूर्ववर्ती उपबंधों में किसी बात के होते हुए भी, संसद, विधि द्वारा, दो या अधिक राज्यों के लिये अथवा दो या अधिक राज्यों तथा किसी संघ राज्यक्षेत्र के लिये एक ही उच्च न्यायालय स्थापित कर सकेगी।" इस प्रावधान का अर्थ है कि संसद दो या अधिक राज्यों के लिये एक उच्च न्यायालय का गठन कर सकती है और साथ ही, चाहे तो किसी संघ राज्यक्षेत्र को भी उससे जोड़ सकती है।

अनुच्छेद 230 का संबंध संघ-राज्य क्षेत्रों से है। यह कहता है कि "संसद, विधि द्वारा, किसी संघ राज्यक्षेत्र पर किसी उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार का विस्तार कर सकेगी या किसी संघ राज्यक्षेत्र से किसी उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार का अपवर्जन कर सकेगी।" इसका सीधा सा अर्थ है कि संसद किसी राज्य के उच्च न्यायालय को किसी संघ राज्यक्षेत्र के उच्च न्यायालय की हैसियत से काम करने का अतिरिक्त क्षेत्राधिकार प्रदान कर सकती है।

वर्तमान में 28 राज्यों तथा 9 संघ राज्यक्षेत्रों के लिये कुल 25 उच्च न्यायालय हैं। कुल मिलाकर, 3 ऐसे उच्च न्यायालय हैं जो दो या दो से अधिक राज्यों के क्षेत्राधिकार का निर्वाह करते हैं। ये हैं- **गुवाहाटी, बंबई, पंजाब व हरियाणा** उच्च न्यायालय। गुवाहाटी उच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार उत्तर-पूर्व के 4 राज्यों- असम, नागालैंड, मिज़ोरम और अरुणाचल प्रदेश पर विस्तारित है। चंडीगढ़ स्थित पंजाब व हरियाणा उच्च न्यायालय के कार्यक्षेत्र में पंजाब तथा हरियाणा राज्यों के साथ चंडीगढ़ संघ राज्यक्षेत्र शामिल है। इसी प्रकार, मुंबई स्थित बंबई उच्च न्यायालय महाराष्ट्र और गोवा दो राज्यों के अलावा दादर और नगर हवेली तथा दमन और दीव दो संघ राज्यक्षेत्रों का दायित्व भी निभाता है।

जहाँ तक संघ राज्यक्षेत्रों का सवाल है, दिल्ली अकेला ऐसा क्षेत्र है, जिसका अपना स्वतंत्र उच्च न्यायालय है। शेष सभी संघ राज्यक्षेत्र अपने निकटवर्ती उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में आते हैं– 'लक्षद्वीप' केरल उच्च न्यायालय में, 'पुदुच्चेरी' मद्रास उच्च न्यायालय में, 'अंडमान-निकोबार' कलकत्ता उच्च न्यायालय में, 'चंडीगढ़' पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय में तथा 'दादर और नगर हवेली' एवं 'दमन और दीव' बंबई उच्च न्यायालय में। ये उच्च न्यायालय अपनी भ्रमणकारी पीठों (Circuit Benches) के माध्यम से इन संघ राज्यक्षेत्रों के मामले देखते हैं।

अध्याय
16

केंद्र-राज्य संबंध
(Centre – State Relations)

जिन देशों का संविधान संघात्मक (Federal) या परिसंघात्मक (Confederal) होता है, उनके सामने यह प्रश्न महत्त्वपूर्ण होता है कि केंद्र तथा राज्यों के मध्य शक्तियों तथा दायित्वों का बँटवारा कैसे हो? यह समस्या इंग्लैंड जैसे एकात्मक देशों के सामने नहीं उठती, क्योंकि वहाँ संघ की शक्ति में हिस्सा मांगने वाले राज्यों का अस्तित्व नहीं है; पर अमेरिका, स्विट्ज़रलैंड, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया तथा भारत जैसे देशों के संविधानों को इस प्रश्न का उत्तर तलाशना होता है।

16.1 केंद्र-राज्य संबंध: परिचय *(Centre-State Relations: Introduction)*

केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियाँ और दायित्व कैसे बँटेंगे, यह कई कारकों पर निर्भर करता है, जैसे- ऐतिहासिक परिस्थितियाँ, भौगोलिक संपर्क, संचार व परिवहन की सुविधाएँ, जनता की इच्छा, विभिन्न राज्यों का चरित्र इत्यादि। यही कारण है कि विभिन्न संघात्मक देशों में शक्तियों व दायित्वों के वितरण की मात्रा तथा प्रकृति में अंतर है। एक ओर भारत व कनाडा जैसे देश शक्तिशाली केंद्र के पक्ष में झुके हुए हैं तो दूसरी ओर स्विट्ज़रलैंड सशक्त राज्यों की तरफ। अमेरिका की स्थिति इतिहास के साथ बदलती रही है और वर्तमान में वह केंद्र व राज्यों के बीच शक्ति-संतुलन की स्थिति में है।

देखा जाए तो केंद्र और राज्यों में कुल 4 प्रकार की शक्तियों (व दायित्वों) का बँटवारा हो सकता है- विधायी, प्रशासनिक, न्यायिक तथा वित्तीय। अमेरिका में इन चारों शक्तियों का बँटवारा केंद्र और राज्यों में किया गया है, किंतु भारत में तीन ही शक्तियों (न्यायिक के अलावा) का वितरण होता है। इसका कारण यह है कि भारत में न्यायिक व्यवस्था एकात्मक है अर्थात् केंद्र और राज्य के न्यायालय अलग-अलग न होकर एक ही सोपानक्रम में स्थित हैं। शेष तीनों शक्तियों व दायित्वों का विभाजन भारतीय संविधान में भी किया गया है।

शक्तियों का विभाजन करने का सामान्य तरीका यह है कि केंद्र और राज्य जिन विषयों पर शक्तियों का प्रयोग करने के लिये अधिकृत होंगे, उनकी सूचियाँ बना ली जाएँ। इन सूचियों को ही केंद्र/संघ सूची (Union List) तथा राज्य सूची (State List) कहा जाता है। जो विषय दोनों सूचियों में शामिल नहीं होते, उन्हें अवशिष्ट विषय कहा जाता है। संविधान में उल्लेख किया गया है कि अवशिष्ट विषयों पर कानून बनाने या प्रशासन करने की शक्ति केंद्र के पास होगी या राज्यों के पास। कुछ देशों में एक तीसरी सूची भी होती है जिसे समवर्ती सूची (Concurrent List) कहते हैं। इसमें शामिल विषयों पर केंद्र और राज्य दोनों को कानून बनाने व प्रशासन करने की शक्ति होती है। संविधान में उल्लेख किया गया है कि दोनों के कानूनों में विरोध होने पर किसके कानून को वैध माना जाएगा।

संविधान निर्माण के समय भारत की स्थिति भी अत्यंत जटिल थी। लगभग 600 रियासतों को जोड़कर भारत बना था और धर्म, जाति, भाषा, जनजाति एवं नस्ल जैसे मुद्दों पर विघटन व अलगाव के बड़े खतरे मौजूद थे। संविधान सभा शुरू में तो राज्यों को अधिक शक्तियाँ देने के पक्ष में थी, किंतु पाकिस्तान के निर्माण तथा उस प्रक्रिया में उभरने वाली सांप्रदायिकता को देखकर उसकी राय बदल गई। इसी समय, भाषा के मुद्दे पर जिस तरह देश में विघटन का माहौल बना, उसने भी संविधान सभा को मज़बूत केंद्र की स्थापना के लिये प्रेरित किया। इन परिस्थितियों को देखते हुए संविधान सभा ने तीन सूचियाँ बनाईं- केंद्र सूची, राज्य सूची तथा समवर्ती सूची। अवशिष्ट शक्तियाँ केंद्र को दी गईं। इसके अलावा, यह प्रावधान भी किया गया कि समवर्ती सूची में शामिल किसी विषय पर मतभेद होने की स्थिति में केंद्र द्वारा निर्मित कानून को ही वैध माना जाएगा। गौरतलब है कि समवर्ती सूची 1935 के 'भारत शासन अधिनियम'' में भी थी, पर उसमें शामिल विषयों पर मतभेद की स्थिति में अंतिम निर्णय की शक्ति गवर्नर जनरल के पास थी। संविधान सभा ने यह शक्ति केंद्र को सौंप दी।

भारतीय संविधान में केंद्र-राज्य संबंधों से जुड़े उपबंध मुख्यत: भाग-11 में दिये गए हैं जिसका शीर्षक है- 'संघ और राज्यों के बीच संबंध'। इस भाग में दो अध्याय हैं। पहले में विधायी संबंध (अनुच्छेद 245-255) बताए गए हैं

अध्याय
17

संवैधानिक, संविधानेतर, सांविधिक, विनियामक और विभिन्न अर्द्ध-न्यायिक निकाय
(Constitutional, Extra-constitutional, Statutory, Regulatory and Various Quasi-Judicial Bodies)

विदित है कि संसदीय शासन प्रणाली का आधार कार्यपालिका अर्थात् मंत्रिपरिषद का विधायिका के प्रति उत्तरदायी होना है तथा कार्यपालिका पर विधायिका के इस नियंत्रण का प्रमुख आधार यह है कि विधायिका वित्तीय प्रणाली का नियंत्रण करती है। अत: अपने उत्तरदायित्व के समुचित निर्वहन के लिये विधायिका को एक ऐसे अभिकरण की आवश्यकता होती है, जो कार्यपालिका से स्वतंत्र रहते हुए सरकार के वित्त संबंधी व्यवहारों की समीक्षा करके उसके परिणामों को विधायिका के समक्ष प्रस्तुत करे। इस प्रकार नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन के माध्यम से कार्यपालिका का विधायिका के प्रति उत्तरदायित्व सुनिश्चित किया जाता है और इस रूप में नियंत्रक-महालेखापरीक्षक वित्त प्रशासन के क्षेत्र में भारत के संविधान और संसदीय विधि के अनुरक्षण के प्रति उत्तरदायी होता है।

17.1 भारत का नियंत्रक-महालेखापरीक्षक *(Comptroller and Auditor-General of India)*

नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का पद भारतीय वित्त प्रशासन में सर्वाधिक महत्त्व वाले पदों में से है। वह देश (संघ और राज्य दोनों) की संपूर्ण वित्तीय व्यवस्था को नियंत्रित करता है। उसके महत्त्व को स्पष्ट करते हुए डॉ. अंबेडकर ने कहा था- **"नियंत्रक-महालेखापरीक्षक भारतीय संविधान के अधीन सर्वाधिक महत्त्व का अधिकारी होगा। वह सार्वजनिक धन का संरक्षक होगा और इस रूप में उसका यह कर्त्तव्य होगा कि वह यह देखे कि समुचित विधानमंडल के प्राधिकार के बिना भारत या किसी राज्य की संचित निधि से एक पैसा भी खर्च न किया जाए।"**

संविधान के **भाग 5** के **अध्याय 5** में **अनुच्छेद 148-151** तक नियंत्रक-महालेखापरीक्षक से संबंधित महत्त्वपूर्ण उपबंधों का उल्लेख किया गया है।

ऐतिहासिक पृष्ठभूमि *(Historical Background)*

यदि नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के ऐतिहासिक विकास पर नजर डालें तो यह पूर्णत: स्पष्ट है कि भारत में विद्यमान सार्वजनिक लेखा और अंकेक्षण की व्यवस्था तथा भारत का लेखा एवं अंकेक्षण विभाग हमें औपनिवेशिक शासन से विरासत में प्राप्त हुए हैं। सर्वप्रथम सन् 1753 में ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा व्यापारिक आय-व्यय के परीक्षण तथा नियंत्रण के लिये लेखा एवं लेखा परीक्षण विभाग की स्थापना की गई। सन् 1857 में लॉर्ड कैनिंग द्वारा लेखा प्रमाणन कार्य हेतु बंबई, कलकत्ता और मद्रास की प्रेसीडेंसियों में महालेखापरीक्षक पद को सृजित किया गया। सन् 1905 में भारत में 'लेखा-परीक्षा विभाग' की स्थापना की गई, जिसकी नियुक्ति राज्य सचिव द्वारा की जाती थी और वह सम्राट के प्रसादपर्यंत अपने पद पर कार्य करता था। सन् 1920 से महालेखापरीक्षक को पूर्ण स्वतंत्रता प्रदान करने की दिशा में प्रयास शुरू हो गए और भारत सरकार अधिनियम, 1935 के माध्यम से उसके पद तथा स्तर में वृद्धि करते हुए महालेखापरीक्षक को संघीय न्यायालय के न्यायाधीश के समान सुरक्षा प्रदान की गई। सन् 1950 में जब भारतीय संविधान लागू हुआ तो महालेखापरीक्षक का नाम बदलकर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक कर दिया गया तथा उसे उच्चतम न्यायालय के समान एक संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। 1976 तक नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के कर्त्तव्यों और अधिकारों की सीमा के अंतर्गत केंद्र तथा राज्य सरकार दोनों के लेखा परीक्षण तथा सभी तरह के वित्तीय लेन-देन के समस्त लेखे सम्मिलित थे, परंतु 1976 में संसद द्वारा पारित एक अधिनियम के माध्यम से नियंत्रक-महालेखापरीक्षक को लेखांकन संबंधी दायित्व से पूर्णत: मुक्त करते हुए उसके कार्यों को केवल लेखा-परीक्षण तक सुनिश्चित कर दिया गया, ताकि उसके कार्यों के अनावश्यक बोझ को कम करके इसकी कार्यक्षमता में वृद्धि की जा सके।

अध्याय
18

पंचायती राज एवं नगरपालिकाएँ (Panchayati Raj and Municipalities)

लोकतंत्र वास्तविक अर्थों में तभी सफल होता है, जब राजनीतिक शक्ति आम आदमी के हाथों में पहुँच जाती है। इसका आदर्श रूप यह होना चाहिये कि आम आदमी के पास स्थानीय मुद्दों, जैसे- पानी, सड़क, सफाई आदि के प्रशासन में निर्णायक भूमिका हो तथा व्यापक स्तर के मुद्दों के लिये उसे अपने प्रतिनिधि चुनने एवं उनसे संवाद व सवाल-जवाब करने का हक हो, जो उसकी ओर से कानून बनाने तथा प्रशासन चलाने की प्रक्रिया में शामिल हों। आजकल इस आदर्श को 'सहभागितामूलक लोकतंत्र' (Participatory Democracy) कहा जाता है।

आजकल दुनिया भर में सहभागितामूलक लोकतंत्र की बयार चल रही है और वह हर देश के सत्ताधारियों को बाध्य कर रही है कि वे शक्ति का अधिकाधिक विकेंद्रीकरण करें। सामान्य राय यह बनती जा रही है कि स्थानीय महत्त्व के मुद्दों पर निर्णय की शक्ति उसी स्तर की लोकतांत्रिक संस्थाओं को सौंपी जानी चाहिये और ऊपर के स्तरों पर वही काम किये जाने चाहियें, जो नीचे के स्तरों पर न किये जा सकते हों। भारत में भी 'लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण' और 'स्थानीय स्वशासन' की धारणाएँ नई नहीं हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में यही धारणा 'पंचायती राज' कहलाती है, जबकि शहरी क्षेत्रों में 'नगरपालिका' या 'नगर निगम'।

18.1 पंचायती राज *(Panchayati Raj)*

ध्यातव्य है कि जो देश संघात्मक (Federal) राजव्यवस्था को अपनाते हैं, उनके संविधान में सत्ता के दो स्तर होते हैं- संघ तथा राज्य। अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों में यही व्यवस्था कार्य करती है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 में भी साफ तौर पर कहा गया है कि "इंडिया अर्थात् भारत राज्यों का संघ होगा" जिसमें निहित है कि शक्ति का वितरण संघ व राज्यों के बीच किया जाएगा। संघात्मक देशों में स्थानीय स्वशासन का ढाँचा तय करने की शक्ति सामान्यतः राज्यों के हाथ में होती है और इसमें केंद्र का कोई हस्तक्षेप नहीं होता। भारत में भी संविधान लागू होने के समय (1950) से 1993 तक यही व्यवस्था थी, किंतु इसमें निहित कमज़ोरियों को देखते हुए तथा जनता की सीधी भागीदारी का महत्त्व समझते हुए हमारी संसद ने (अधिकांश राज्यों के विधानमंडलों के सहयोग से) 1992-93 के दौरान दो महत्त्वपूर्ण संविधान संशोधन किये, जिन्हें '73वाँ' तथा '74वाँ संशोधन' कहा जाता है। इन संशोधनों ने हमारे संविधान में सत्ता का एक तीसरा स्तर भी निर्धारित कर दिया, जिसे गाँवों के लिये 'पंचायत' और शहरों के लिये 'नगरपालिका' कहा गया। इन संशोधनों ने हमारी राजव्यवस्था को संघात्मक ढाँचे से एक कदम और आगे बढ़ा दिया, क्योंकि अब हमारे संविधान में सत्ता के तीन स्तर निर्धारित हैं- संघ, राज्य तथा स्थानीय स्वशासन। सत्ता के विकेंद्रीकरण को लक्षित इन प्रयासों की कुछ सीमाएँ तो हैं, किंतु लोकतंत्र की जड़ों तक पहुँचने की दृष्टि से इन्हें 'मौन क्रांति' की संज्ञा देना गलत न होगा।

पंचायती राज का क्रमागत विकास *(Evolution of Panchayati Raj)*

प्राचीन तथा मध्यकालीन भारत में पंचायतों के रूप में स्थानीय स्वशासन की लंबी परंपरा रही है पर ब्रिटिशों के आगमन के बाद स्थिति बदलने लगी। परंपरागत पंचायतें अंग्रेज़ों के लिये अनुपयोगी थीं। 1773 के 'रेग्यूलेटिंग एक्ट' के तहत गाँवों के लिये जो ज़मींदार नियुक्त किये गए थे, वे पंचायतों से स्वतंत्र थे और सरकार के प्रति जवाबदेह थे। आगे चलकर सिविल तथा आपराधिक न्यायालयों के गठन के साथ पंचायतों की भूमिका और कमज़ोर हो गई।

1857 के बाद ब्रिटिश सरकार को समझ में आने लगा कि स्थानीय स्वशासन की संस्थाओं के बिना इतने बड़े देश का शासन चलाना उसके लिये संभव नहीं है। 1882 में लॉर्ड रिपन ने स्थानीय स्वशासन संबंधी प्रस्ताव दिया, जिसे भारतीय स्वशासन संस्थाओं के इतिहास में 'मैग्नाकार्टा' कहा जाता है। इस प्रस्ताव के तहत रिपन ने नगरीय स्थानीय संस्थाओं के साथ-साथ ग्राम पंचायतों, न्याय पंचायतों तथा ज़िला स्तर पर ज़िला बोर्ड के गठन का प्रस्ताव रखा था।

डी.एल.पी. बुकलेट्स की विशेषताएँ

- आयोग के नवीनतम पैटर्न पर आधारित अध्ययन सामग्री।
- पैराग्राफ, बुलेट फॉर्म, सारणी तथा फ्लोचार्ट का उपयुक्त समावेश।
- विषयवस्तु की सरलता, प्रामाणिकता तथा परीक्षा की दृष्टि से उपयोगिता पर विशेष ध्यान।
- प्रत्येक अध्याय के अंत में विगत वर्षों में पूछे गए एवं संभावित प्रश्नों का समावेश।

Website : www.drishtiIAS.com
E-mail : online@groupdrishti.com

DrishtiIAS

YouTube Drishti IAS

drishtiias

drishtithevisionfoundation

641, First Floor, Dr. Mukherjee Nagar, Delhi-110009
Phones : 8750187501, 011-47532596